"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जून 2010—ज्येष्ठ 28, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक 5951/डी-1519/21-ब/छ. ग./2010.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा, अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित प्रविष्टियों के संबंध में, पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के संबंध में निम्नलिखित आदेश के लिए और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं के अनुसूची में, कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर, विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम, पदनाम तथा स्थान (2)	सिविल जिले का नाम (3)
1.	श्री अरूण कुमार प्रधान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, दुर्ग.	दुर्ग
2.	श्री विजेन्द्र नाथ पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर.	बिलासपुर
3.	श्रीमती सुषमा सावंत, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव.	राजनांदगांव

Raipur, the 16th June 2010

NOTIFICATION

F. No. 5951/D-1519/XXI-B/C.G./2010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following order, further to amend this department's previous notifications, relating to the entries mentioned in column No. (2) namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in schedule, Officers mentioned in column (2) shall be posted Special Judge, at the places mentioned in column (3) of the said schedule, namely :—

Sl. No.	Name of the Judicial Officer, Designation and Place of Posting	Name of the District
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Arun Kumar Pradhan, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Durg.	Durg
2.	Shri Vijendra Nath Pandey, IInd Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.	Bilaspur
3.	Smt. Sushma Sawant, Ist Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon.	Rajnandgaon

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.